आवक 2359
दिनांक 22/10/21

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 900 / 1639 / 2021 / 23 / योआसां. भोपाल, दिनांक 13 / 10 / 2021

प्रति,

1. श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
2. श्री बी.आर.नायडू, महानिदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद, भोपाल
3. डॉ. सुषमा शर्मा, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग
4. श्री प्रमोद सिहं, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
5. डॉ. धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद, भोपाल
6. डॉ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी, ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा विभाग
7. डॉ. आलोक निगम, ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा विभाग

विषयः मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने के संबंध में बैठक दिनांक 09.09.2021 का कार्यवाही विवरण।

---0---

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 09.09.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अभिषेक सिंह)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ.क्रमांक 901 / 1639 / 2021 / 23 / योआसां. भोपाल, दिनांक 13 / 10 / 2021

प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ.प्र.२११

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठयक्रम को पुन: प्रारम्भ करने हेतु उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग से सहयोग प्राप्त किये जाने के संबंध में बैठक दिनांक 09 सितम्बर 2021

कार्यवाही विवरण

प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठयक्रम को पुन: प्रारम्भ करने हेतु उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग से सहयोग प्राप्त किये जाने के संबंध में बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को मंत्रालय के कक्ष क्र. बी-308 में आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग
2. श्री बी.आर. नायडू, महानिदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद्
3. डॉ. धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद्
4. डॉ. सुषमा शर्मा, उप सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग
5. श्री प्रमोद सिंह, उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
6. डॉ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी, ओ.एस.डी., उच्च शिक्षा विभाग
7. डॉ. आलोक निगम, ओ.एस.डी., उच्च शिक्षा विभाग

बैठक मे निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

1. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे-
   a) मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम (CMCLDP) ओपचारिक रूप से म.प्र. जन अभियान परिषद को हस्तांतरित किया जावेगा।
   b) शैक्षणिक सत्र 2021-22 अंतर्गत पाठ्यक्रम अंतर्गत कक्षाओं का आयोजन प्रदेश के विकासखंड मुख्यालयों पर संचालित शासकीय महाविद्यालयों में करने की अनुमति दी जावेगी। विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित शासकीय महाविद्यालय को महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता दी जावेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य को पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन केन्द्र प्रभारी घोषित किया जावेगा।
   c) विकासखण्ड स्तर पर स्थित शासकीय महाविद्यालय परिसर में कक्षा के संचालन हेतु स्मार्ट क्लास की सुविधा युक्त 05 कक्ष, वर्चुअल क्लास रूम, प्रसाधन, अलमारी, पुस्तकालय, स्टाफ रूम एवं कम्प्यूटर लेबोरेटरी उपलब्ध करायी जावेगी। पाठ्यक्रम के छात्रों को चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र के आधार पर पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लेबोरेटरी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(डॉ. प्रवीण शर्मा)
प्रभारी प्रशासन
म.प्र. जन अभियान परिषद

d) अध्ययन केंद्र प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से रविवार को कक्षा संचालन की आवश्यक व्यवस्था हेतु एक प्रभारी व्यक्ति का तथा पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई व अन्य कार्यों के लिये एक भृत्य का नामांकन कराया जावेगा। इन व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा किया जावेगा।

e) कक्षाएं केवल रविवार को संचालित की जावेंगी। रविवार के दिन कक्ष उपलब्ध न होने अथवा किसी विशेष स्थिति में अन्य दिवसों में, महाविद्यालय के समान्य अध्ययन- अध्यापन एंव अन्य कार्यों को प्रभावित किये बिना, कक्षा संचालन हेतु कक्ष उपलब्ध कराये जावेंगे।

f) अध्ययन केंद्र प्रभारी प्राचार्य को पाठयक्रम अंतर्गत अकादमिक गतिविधियों आदि के संबंध में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित निर्देश एवं परिपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जावेंगे।

g) अर्धवार्षिक/प्रायोगिक/वार्षिक परीक्षा के आयोजन में अध्ययन केंद्र प्रभारी प्राचार्य एंव अन्य स्टाफ द्वारा अकादमिक/प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किये जावेंगे। इस कार्य हेतु निर्धारित राशि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेंगी।

2. स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे-

a) जिन विकासखंड मुख्यालयों पर महाविद्यालय संचालित नहीं है ऐसे विकासखण्डों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पाठ्यक्रम अंतर्गत कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग/ आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में किये जाने की अनुमति दी जावेगी।

b) स्कूल शिक्षा विभाग/ आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों को महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता दी जावेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य को पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन केन्द्र प्रभारी घोषित किया जावेगा।

c) स्कूल शिक्षा विभाग/ आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालय परिसर में कक्षा के संचालन हेतु स्मार्ट क्लास की सुविधा युक्त 05 कक्ष, वर्चुअल क्लास रूम, प्रसाधन, अलमारी, पुस्तकालय, स्टाफ रूम एवं कम्प्यूटर लेबोरेटरी उपलब्ध करायी जावेगी। पाठ्यक्रम के छात्रों को चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र के आधार पर पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लेबोरेटरी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जावेगी।

d) अध्ययन केंद्र प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से रविवार को कक्षा संचालन की आवश्यक व्यवस्था हेतु एक प्रभारी व्यक्ति का तथा पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई व अन्य कार्यों के लिये एक भृत्य का नामांकन कराया जावेगा। इन व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा किया जावेगा।

(डॉ. प्र[illegible] शर्मा)
प्रभारी प्रशासन
जन अभियान परिषद

e) कक्षाएं केवल रविवार को संचालित की जावेंगी। रविवार के दिन कक्ष उपलब्ध न होने अथवा किसी विशेष स्थिति में अन्य दिवसों में, महाविद्यालय के समान्य अध्ययन- अध्यापन एंव अन्य कार्यों को प्रभावित किये बिना, कक्षा संचालन हेतु कक्ष उपलब्ध कराये जावेंगे।

f) अध्ययन केंद्र प्रभारी प्राचार्य को पाठयक्रम अंतर्गत अकादमिक गतिविधियों आदि के संबंध में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित निर्देश एवं परिपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जावेंगे।

g) अर्धवार्षिक/प्रायोगिक/वार्षिक परीक्षा के आयोजन में अध्ययन केंद्र प्रभारी प्राचार्य एंव अन्य स्टाफ द्वारा अकादमिक/प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किये जावेंगे। इस कार्य हेतु निर्धारित राशि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेंगी।

(डॉ. प्रवीण शर्मा)
प्रभारी प्रशासन
म.प्र. जन अभियान परिषद